न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 436/2021

तारीख रजू 02.11.2021

दावा बावत

तकास्मा,इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेद्याज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2021/ उनवान– गोविन्द बनाम इन्द्रभान वगै0

उनवान

गोविन्द पुत्र मूलचंद वगै0 जाति धाकड निवासी रणजीत नगर हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

इन्द्रभान पुत्र मूलचंद वगै0 जाति धाकड निवासी रणजीत नगर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

—प्रतिवादी 14

दिनांक	फर्द अहकाम
2.11.2021	आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री वीर सिंह मावई एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.11.2021 को पेश हो। (अनूप सिंह) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
29/11/2021	बकुलाल उपस्थित, चौथतीज अधिकारी [illegible] आगे की कार्यवाही है। कार्यानुसार दिनांक.....को पेश हो। 24-2-2022
24/2/22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाल अधिवक्ता / प्रतिवादी सं० 08 ता० 13 की ओर से श्री पी.एल. गोयल Adv. ने वकालत नामा पेश किया। पत्रावली वास्ते तलबी दि० 31.5.22 को पेश हो।
31/5/22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाल अधिवक्ता / पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी दि० 14.6.22 को पेश हो।
14/6/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील अनु० प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने पर वादीगण वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे प्रतीत होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 436/21 गोविन्द बनाम इन्द्रभान खारिज करते हुए वादी व मदद सैरवी में आदि दिया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दिकर नम्बर की जावे।
	उपखण्ड अधिकारी (हिण्डौन, करौली)